न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी —श्री रामजी भाई कलबी, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :— 131/2019 अन्तर्गत धारा 86 Rt Act 1955

अनवान :—

प्रार्थी :— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सेड़वा

बनाम

विप्रार्थीगण :— 1. डुंगरसिंह पुत्र बुधसिंह — फौत
2. गेनसिंह पुत्र बुधसिंह
3. तगसिंह पुत्र बुधसिंह जाति राजपुत
निवासी राणासर कलां तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

वकील प्रार्थीगण :— पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 09.09.2022

आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार द्वारा न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 86 रा.का.अ. 1955 प्रस्तुत किया कि विप्रार्थी द्वारा मौजा तहसील सेड़वा के पटवार मण्डल सोनड़ी के राजस्व ग्राम रोहिला के खसरा संख्या 162 व 176 रकबा क्रमश : 36.18 बीघा व 45.13 बीघा में विप्रार्थी के नाम निजी खातेदारी भूमि में अनाधिकृत हरे रोहिड़ा के वृक्षों की कटाई की गयी है। उक्त विप्रार्थी ने निजी खातेदारी भूमि में बिना सक्षम अधिकारी की वैध स्वीकृति प्राप्त किये शिकायत कर्ता के कथनानुसार रोहिड़ा के 25 वृक्ष को कटवाये है। दिनांक 10.06.2019 को नायब तहसीलदार सेड़वा पटवारी सोनड़ी व पटवारी सेड़वा द्वारा उक्त काटे गये वृक्षों को रूबरू मौतबरान के मौके पर 25 वृक्षों के ठूंठ मौके पर मौजूद पाये गये जिन्हें जब्त सरकार किया गया है। जिसकी फर्द मौका नक्शा है उक्त वृक्षों के पेड़ की सूपूर्दगी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.10.16 18:52:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

हल्का पटवारी सोनड़ी की अभिरक्षा में है। उक्त जब्त शुदा वृक्षों की अनुमानित बाजार किमत 50000/– अक्षरे :– पचास हजार रूपये है। (रोहिड़ा प्रति नग – 2000) उक्त पेड़ों की निलाम करने हेतु शीघ्र आदेश फरमावें ताकि चोरी या खुर्द–बुर्द नहीं किये जा सकें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिली कुन्दा रिपोर्ट के अनुसार विप्रार्थी डुंगराराम पुत्र बुधसिंह का फौत होना जाहिर हुआ। प्रार्थी ने उपस्थित होकर अप्रार्थी डुंगरसिंह की फोतगी की सूचना पेश की। प्रार्थना पत्र पर पैरोकार की बहस सुनी गई। बहस में पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। पैरोकार ने डुंगरसिंह को लाऔलाद फौत होना बताया।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजों का अवलोकन अध्ययन किया तथा पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र से स्पष्ट है कि मौके पर खसरा संख्या 162 में 21 रोहिड़ा के पेड़ जेसीबी से काटकर डाले हुए पाये गये व इसी खसरे से 2 रोहिड़ा के पेड़ काटकर खसरा संख्या 176 में जेसीबी से डाले हुए पाये गये व खसरा संख्या 176 में 2 रोहिड़ा के पेड़ काटे हुए मौके पर पाये गये। उक्त सभी पेड़ जेसीबी से काटे गए है। मौके पर जेसीबी के टायरों के निशान मौजूद पाये गये। काटे गये पेड़ो की लम्बाई तरकीबन 7–12 फीट व गोलाई 1.5 से 3 फीट है। सभी काटे गये वृक्ष हरे वृक्ष है व बिना अनुमति से कांटे गये है। मौके पर राकेश कुमार नायब तहसीलदार सेड़वा भी पहुंचे। मौके पर खातेदार उपस्थित नहीं मिले। खातेदारों को बुलाने पर भी उपस्थित नहीं हुए सभी काटे हुए पेड़ श्री लक्ष्मणाराम पटवारी सोनड़ी को मौके पर ही सुपुर्द किये गये। फर्द मौका मौके पर बनाई जाकर उपस्थित के हस्ताक्षर कराये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.10.16 18:52:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर सेड़वा

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि बिना किसी अनुज्ञा पत्र के अप्रार्थी द्वारा रोहिड़े के हरे वृक्षों की कटाई की गई है जो रा.का.अ. की धारा 83 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है, धारा 86 के तहत शास्ती का दायी है, अतः आज्ञा है कि अप्रार्थी द्वारा बिना अनुज्ञा के काटे गये रोहिड़े के वृक्षों के लिए अप्रार्थी पर 2500 /— रूपये शास्ती आरोपित की जाती है तथा जब्त की गई लकड़ी को नियमानुसार खुली नीलामी में बिक्री की जाकर रकम राजकोष में जमा कर अनुपालना रिपोर्ट पेश करे।

निर्णय की पालना अपील की अवधि 30 दिवस गुजरने के बाद तहसीलदार द्वारा की जाकर पालना रिपोर्ट से न्यायालय को अवगत करावे।

निर्णय आज दिनांक 09.09.2022 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

सहायक कलक्टर सेड़वा

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.10.16 18:52:08 IST
Reason: SelfAttested